आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आर्म्स अपील वाद संख्या–02/2023
श्री केशव मिश्रा
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
13.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 5144/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 के आलोक में जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक–448/सा0 दिनांक–16.09.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में अंकित है कि:– **"It is needless to state that in case appropriate appeal is filed by the petitioner within a period of 4 weeks from today, the same shall be decided by the Appellate Authority on merits without it being impeded by the issue of limitation, within a period of 12 weeks, thereafter, by passing a speaking and a reasoned order, in accordance with law."** माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाद को	

	अधिग्रहित करते हुए सुनवाई की तिथि दिनांक–23.02.2023, 06.03.2023, 06.04.2023 एवं आज दिनांक को 13.04.2023 को निर्धारित की गई। परन्तु अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस वाद के सुनवाई की विगत सभी तिथियों पर लगातार अनुपस्थित है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी (अपीलकर्ता) वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। साथ ही प्रस्तुत अपील दायर करने के पूर्व आर्म्स रुल–2016 के नियम 109 के तहत 1000 रुपये जमा करना भी अनिवार्य है, जिसका अनुपालन अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में अपीलकर्ता को वाद में अभिरुचि नहीं रहने के कारण प्रस्तुत वाद को **Dissmissed For Default** किया जाता हैं। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL